

:: कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

क्रमांक : 4906 / तीन-3-6 / 24

उज्जैन, दिनांक 14 MAY 2025

प्रति,

समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
उज्जैन / नागदा / महिदपुर / बड़नगर / तराना / खाचरौद
जिला-उज्जैन।

विषय : यात्रा परिवहन भत्ते के अंतर्गत आवेदन मय स्वप्रमाणन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : 1. म०प्र० शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना प्रकाशन
दि. 15.03.2024

2. मान.रजि. ज्ञापन क्रमांक सी/3771 दि.04.05.24, क. सी/5746 दिनांक
05.08.24, क. सी/5866 दि.16.08.24 एवं क्रमांक सी/8945 दि. 20.12.2024

—00—

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयांतर्गत नियमों के अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ न्यायिक अधिकारियों द्वारा “यात्रा/परिवहन भत्ता” के अंतर्गत पेट्रोल/डीज़ल प्रतिपूर्ति हेतु एवं निजी वाहन के रख-रखाव/चालक के वेतन हेतु देय भत्ते हेतु स्व-प्रमाणन निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाना है।

अतः वांछित प्रमाण-पत्र यथा-शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि नियमानुसार भत्ते का भुगतान किया जा सके, बिना प्रमाण-पत्र प्रस्तुति के भुगतान कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

संलग्न: मान०रजि० द्वारा निर्धारित प्रारूप।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म०प्र०)

// स्व-प्रमाणन //

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 04.01.2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल दिनांक 15.03.2024 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत स्व-प्रमाणन निम्नानुसार है:-

निजी वाहन के रख-रखाव/चालक के वेतन हेतु देय भत्ता

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा से तक की अवधि में मेरे स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहन क्रमांक का रख-रखाव किया एवं उक्त अवधि में वाहन चालक नियोजित किया गया है।

स्थान : उज्जैन

दिनांक :

(.....)

पदनाम

उज्जैन (म.प्र.)

// स्व-प्रमाणन //

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 04.01.2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल दिनांक 15.03.2024 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत स्व-प्रमाणन निम्नानुसार है:-

निजी वाहन के लिये ईंधन व्यय प्रतिपूर्ति हेतु देय भत्ता

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा से तक की अवधि में मेरे स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहन क्रमांक का मैं लीटर प्रतिमाह पेट्रोल/डीजल का उपयोग-उपभोग किया गया है।

स्थान : उज्जैन

दिनांक :

(.....)

पदनाम